आयकर भवन, सिविल लाइन्स,
गोरखपुर

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80G(5)(vi) के अधीन आदेश
दिनांक: 14–12–2012

संस्था / न्यास

KARMSAKSHI SEWA SANSTHAN
127-C. PRAGATI VIHAR, NEW DHARMPUR COLONY,
P.O. GITA VATIKA, SHAPUR, GORAKHPUR

PAN AAATK8766H

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि संस्था / न्यास **KARMSAKSHI SEWA SANSTHAN, 127- PRAGATI VIHAR, NEW DHARMPUR COLONY, GORAKHPUR** को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80G(5)(vi) के अंतर्गत दानदाता के पक्ष में करमुक्त होगा बशर्ते कि उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो–

1. करदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति किस कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) से देय है, स्पष्ट लिखा हो।
2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये।
7. यह कर मुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2013–14 (वित्तीय वर्ष 2012–13) से देय है।
8.

(डा0 ए0 के0 सिंह)
आयकर आयुक्त, गोरखपुर

फा0सं0 आ0आ0 / गो0 / 80 जी / 2012–13 / 1381 दिनॉक: 14–12–2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

3. सचिव / अध्यक्ष, संस्था / न्यास **KARMSAKHI SEWA SANSTHAN, 127- PRAGATI VIHAR, NEW DHARMPUR COLONY, GORAKHPUR.**

(I) संस्था / न्यास को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्था की प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी,वार्षिक आय–व्यय के अभिलेखों की प्रति के साथ संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में आयकर प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जमा की जाय।

(II) इसके अतिरिक्त यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था / न्यास की आयकर विवरणी की जॉच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई जो संस्था के मूल उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत पाए गए अथवा संस्था / न्यास के कियाकलाप प्रमाणिक नहीं रहे तो, आयकर आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त संस्था / न्यास को पूर्व में जारी आयकर की धारा–80G(5)(vi) के अधीन मान्यता को तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दें।

2. अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र–I / II, गोरखपुर व परिक्षेत्र–आजमगढ़।
3. उप / आयकर सहायक आयुक्त, परिक्षेत्र–I / II, गोरखपुर व परिक्षेत्र–आजमगढ़ को जो उपरोक्त संस्था / न्यास के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जॉच करें, जो कि बोर्ड के आदेश संख्या–3 / फा0सं0–367 / 175 / 47 / 70 / आई.टी.ए. दिनांक 09.10.1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारिती प्रत्येक वर्ष आयकर विवरणी समय से दाखिल कर रहा है। इसके अतिरिक्त आयकर विवरणी की जॉच करने पर यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था / न्यास के वार्षिक आय–व्यय लेखों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है जो संस्था / न्यास के मूलभूत उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है या संस्था / न्यास के कार्यकलाप प्रमाणिक नहीं हैं तो उसकी आख्या अपनी टिप्पणी सहित अपने परिक्षेत्र के अपर / संयुक्त आयकर आयुक्त के माध्यम से यथा समय इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार आयकर आयुक्त द्वारा प्रदत्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80G(5)(vi) के अधीन मान्यता रद्द की जा सकती है।

आयकर आयुक्त गोरखपुर

(एस0के0पांडेय)
आयकर अधिकारी (तक0)
कृते आयकर आयुक्त, गोरखपुर